बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
*सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9431818346, 9431479774

महासचिव,
*सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- * सआदत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम
संयुक्त सचिव:- * राजयनन्द वार्डियार
* अनिल कुमार
कोषाध्यक्ष:- * चन्द्र शेखर सिंह
संयुक्त कोषाध्यक्ष:- * विनोद आनन्द

पत्रांक : 69 दिनांक 16/12/13

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वित्त विभाग,
बिहार, पटना।

विषय - बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के मूलकोटि के वेतनमान में वरीय उपसमाहर्त्ता/विशेष कार्य पदाधिकारी तथा विशेष कार्य पदाधिकारी (अपर समाहर्त्ता एवं समकक्षस्तर) पर सृजित पदों में विशेष वेतन मद में 500/- रू0 प्रतिमाह के प्रावधान रहने के बावजूद वेतनपूर्जा में इसे नहीं अनुमान्य किए जाने के संबंध में ।

प्रसंग- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार का ज्ञापांक सं0-3983, दिनांक-3/5/2010, ज्ञाप सं0-8487, दिनांक-30/8/2010 एवं पत्रांक-14187, दिनांक-03/8/2013 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक आदेशों के आलोक में कहना है कि बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के पश्चात् वरीय उपसमाहर्त्ता एवं विशेष कार्य पदाधिकारी के अस्थयी रूप से सृजित 372 (मूल कोटि) एवं 30 (अपर समाहर्त्ता) कुल 402 पदों पर पदस्थापित पदाधिकारियों को वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग द्वारा जारी किए जा रहे वेतन पूर्जा में विशेष वेतन रू0500/- माह नहीं अनुमान्य किया जा रहा है जबकि पद सृजन के व्यय-विवरणी में इस स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है। इस संबंध में संघ के सदस्यों द्वारा वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग से पत्राचार किए जाने पर उन्हें सूचित किया गया है कि इसकी अनुमान्यता के संदर्भ में वित्त विभाग से परामर्श मांगा गया है (छायाप्रति संलग्न)। सरकार के पद सृजन संबंधी आदेशों में विशेष वेतन प्रावधानित रहने के बावजूद वित्त् विभाग से परामर्श मांगने के नाम पर इसे दो वर्षो से अधिक अवधि में रोक के रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

उक्त के आलोक कृपया अपने स्तर संबंधितों को विषयांकित पदों पर निर्गत किए जा रहे वेतनपुर्जों में विशेष वेतन जोड़कर निर्गत करने का निदेश देने की कृपा की जाय ।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 16/12/13

(सुशील कुमार)
महासचिव

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञाप संख्या–12/नि0–1009/10 सा0प्र0– /पटना–15, दिनांक– 2010

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वाराः–वित्त विभाग।

विषयः– बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के लिए मूल कोटि के वेतनमान् रू0 9300–34,800 + ग्रेड वेतन रू0 5400 में वरीय उप समाहर्त्ता के 202 पद एवं विशेष कार्य पदाधिकारी (मूल कोटि) के 30 पद, उप सचिव (अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष स्तर) के वेतनमान रू0 15,600–39,100 + ग्रेड वेतन रू0 7600 में विशेष कार्य पदाधिकारी के 30 पदों का अस्थायी रूप से सृजन की स्वीकृति ।

आदेशः– स्वीकृत ।

सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) के संकल्प संख्या–942, दिनांक–28.01.2010 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पुनर्गठन तथा सेवा संवर्ग की संख्या और संरचना का निर्धारण किया गया है। पुनर्गठन के फलस्वरूप कई महत्वपूर्ण विभागों में पूर्व से सृजित पदों के नहीं रह जाने के कारण कार्यरत पदाधिकारियों के पदस्थापन एवं उनके सामंजन में कठिनाई को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा नीचे अंकित विशेष पदों को दिनांक–01.04.2010 के प्रभाव से अगले तीन वर्षो के लिए बिल्कुल अस्थायी रूप से सृजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

क्रम	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या
1	2	3	4
1	वरीय उप समाहर्त्ता (मूल कोटि)	रू0 9300–34800+ग्रेड वेतन रू0 5400	202
2	विशेष कार्य पदाधिकारी (मूल कोटि)	रू0 9300–34800+ग्रेड वेतन रू0 5400	30
3	विशेष कार्य पदाधिकारी (अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष स्तर)	रू0 15600–39100+ग्रेड वेतन रू0 7600	30

2. सभी पद सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन रहेंगे जिनपर आवश्यकतानुसार बिहार प्रशासनिक सेवा के कार्यरत पदाधिकारियों का पदस्थापन विभिन्न विभागों/कार्यालयों में किया जा सकेगा।

3. पदों के सृजन पर होनेवाले अनुमानित वार्षिक व्यय संलग्न विवरणी–I में दर्शाया गया है जो पदाधिकारियों के पदस्थापन से संबंधित विभागीय बजट शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा। यह व्यय नोशनल है, क्योंकि इन अस्थायी सृजित पदों पर नयी नियुक्ति नहीं होगी।

अनुलग्नकः–यथाउपर्युक्त।.

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(अतुल कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–12 / नि0–1009 / 10 सा0प्र0– / पटना–15, दिनांक– 2010

प्रतिलिपिः–मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को विभागीय संलेख ज्ञापांक–3738, दिनांक–27.04.2010 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–27.04.2010 के मद सं0–23 के रूप में स्वीकृति के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0 / –

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–12 / नि0–1009 / 10 सा0प्र0– 3983 / पटना–15, दिनांक– 3 . 5 . 2010

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव / मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना / उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / सभी विभाग के प्रधान सचिव / सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग / सभी जिला कोषागार पदाधिकारी / सामान्य प्रशासन विभाग के सभी राजपत्रित पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3/05/10

सरकार के संयुक्त सचिव।